IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति व चुनौतियॉ– एक अध्ययन

डॉ• अखिलेश कुमार

शोध छात्र (वाणिज्य विभाग)

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

पिन –802301

सारांश :– प्रस्तुत शोधपत्र में भारत के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योंग की वर्तमान स्थिति व चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, क्योकि यह हमारे देश के समग्र औद्योगिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्ती भूमिका निभा रहे है। यह लगभग 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। स्व–रोजगार एवं अन्य रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है व राष्ट्रीय आय में वृद्वि और धन का समान वितरण सुनिश्चित करने व क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में मदद करता है और विनिर्माण उत्पादन के 45 प्रतिशत के साथ–साथ देश के निर्यात का 40 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र में होता है। वर्तमान में देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29 प्रतिशत है, इसके अतिरिक्त एमएसएमई के श्रमिक–पूँजी अनुपात भी अत्यधिक है।

शब्दकोश :–संवर्धन, विनियमित, स्व–रोजगार, सूक्ष्म, विपणन, लालफीताशाही, ब्रांड, उदारीकरण।

प्रास्तावना :– सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह उद्यम अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योकि हमारे देश के समग्र औद्योगिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्ती भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में कार्यरत 7 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश में लगभग 12 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कर रहे है। स्व–रोजगार एवं अन्य रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक अवसर उपलबध करवाता है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के लिए श्रमिक–पूँजी अनुपात भी अत्यधिक है। एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 विनियमित किया है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के संवर्धन एवं विकास को सरल व सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। 2 अक्टूबर 2006 से लागू इस अधिनियम ने इस क्षेत्र की दीर्घावधि मांग को पूरा कर दिया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में पिछले पॉच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूँजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है व राष्ट्रीय आय और धन की अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औधोगिकरण में मदद करते है। एमएसएमई के सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक है और यह क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए काफी योगदान देता है। 2019 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई पिछले 4 वर्षो में सबसे बड़ा रोजगार–उत्पादक रहा है, विशेष रूप से आतिथ्य और पर्यटन, वस्त्र और परिधान, धातु,उत्पाद, मशीन कलपुर्जो और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योंग की वर्तमान स्थिति :–

एमएसएमई वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते है। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। वर्तमान में एमएसएमई कारोबारियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे है। हाल ही में वितमंत्री निर्मल सीतारमण ने इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रूपये तक के लोन की गारंटी का एलान किया है। समान्य तौर पर सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए वित्तीय संसाधन का अभाव रहता है, किन्तु इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य कर्ज से वंचित और बैंक की सुविधा न पानेवाले छोटे काराबारियों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये तक के मुद्रा ऋण दिए जा रहे है। इस ऋण को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है:– (i) शिशु ऋण(50000रू• तक) (ii)किशोर ऋण(50000 रू• से 5 लाख रूपये तक) व (iii) तरूण ऋण (5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक) आदि। इस प्रकार मुद्रा ऋण ने सूक्ष्म उद्योगों और असंगठित क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने का नया परितंत्र विकसित होने में योगदान दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योंग को बढ़ावा देने के लिए उद्यम मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2020 से 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल'योजना की शुरूआत हुई है। इस पोर्टल द्वारा उद्यमों के 'वर्गीकरण' और 'पंजीकरण' की नई प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देश में अब सभी लघु–सूक्ष्म व मध्यम इकाइयों को 'उद्यम' के नाम से जाना जायेगा। नई या पुरानी सभी इकाइयों को इस पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण पूरा होने के बाद एक ऑनलाइन 'उद्यम' रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नही होगी।

विश्व बैंक और भारत सरकार ने 6 जूलाई 2020 को 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिसका मुख्य उद्देश्य, कोविड–19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्त का प्रभाव बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। विश्व बैंक का 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' लगभग 1.5 मिलियन लाभप्रद एमएसएमई की नकदी और ऋण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योंग की वर्तमान स्थिति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:–

तालिका संख्या– 01

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अनुमानित संख्या(कार्यकलाप वार लाख में):–

कार्यकलाप श्रेणी	ग्रामीण	शहरी	कुल	हिस्सा (%)
विनिर्माण	114.14	82.50	196.65	31
इलेक्ट्रिसिटी	0.03	0.01	0.03	–
ट्रेड	108.71	121.64	230.35	36
अन्य सेवाएँ	102.00	104.85	206.85	33
सभी	324.88	309.00	633.88	100

स्त्रोत :– एमएसएमई वार्षिक रिर्पोट 2019–20

तालिका संख्या–02

श्रेणी–वार उघमों का वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	630.52	3.31	0.05	633.88	100

स्त्रोत :– एमएसएमई वार्षिक रिर्पोट 2019–20

तालिका संख्या–03

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों का प्रतिशत वितरण

(पुरूष/महिला स्वामित्व श्रेणी–वार) :–

क्षेत्र	पुरूष	महिला	सभी
ग्रामीण	77.76	22.24	100
शहरी	81.58	18.42	100
सभी	79.63	20.37	100

स्त्रोत :– एमएसएमई वार्षिक रिर्पोट 2019–20

तालिका संख्या–04

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मालिक के सामाजिक समूह द्वारा उद्यमों का प्रतिशत वितरण :–

क्षेत्र	अ•जा•	अ•ज•जा•	अ•पि• व	अन्य	ज्ञात नही	सभी
ग्रामीण	15.37	6.70	51.59	25.62	0.72	100
शहरी	9.45	1.43	47.80	40.46	0.86	100
सभी	12.45	4.10	49.72	32.95	0.79	100

स्त्रोत :– एमएसएमई वार्षिक रिर्पोट 2019–20

तालिका संख्या–05

एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित रोजगार (कार्यकलाप–वार) लाख में

मुख्य कार्यकलाप श्रेणी	ग्रामीण	शहरी	कुल	हिस्सा (%)
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	32
विधुत	0.06	0.02	0.07	–
व्यापार	160.64	226.54	387.18	35
अन्य सेवाएँ	150.53	211.69	362.22	33
सभी	497.79	612.10	1109.89	100

स्त्रोत :– एमएसएमई वार्षिक रिर्पोट 2019–20

तालिका संख्या–06

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा रोजगार का वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा(%)
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	497.78	45
शहरी	586.88	24.06	1.16	612.10	55
सभी	1076.19	31.95	1.75	1109.89	100

स्त्रोत :– एमएसएमई वार्षिक रिर्पोट 2019–20

तालिका संख्या–07

एमएसएमई की अनुमानित संख्या का राज्यवार वितरण (संख्या लाख में)

क्रम सं•	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	33.74	0.13	0.00	33.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.00	0.23
3.	असम	12.10	0.04	0.00	12.14
4.	बिहार	34.41	0.04	0.00	34.46
5.	छत्तीसगढ़	8.45	0.03	0.00	8.48
6.	दिल्ली	9.25	0.11	0.00	9.36
7.	गोवा	0.70	0.00	0.00	0.70
8.	गुजरात	32.67	0.50	0.00	33.16
9.	हरियाणा	9.53	0.17	0.00	9.70
10.	हिमाचल प्रदेश	3.86	0.06	0.00	3.92
11.	जम्मू और कश्मीर	7.06	0.03	0.00	7.09
12.	झारखण्ड	15.78	0.10	0.00	15.88
13.	कर्नाटक	38.25	0.09	0.00	38.34
14.	केरल	23.58	0.21	0.00	23.79
15.	मध्य प्रदेश	26.42	0.31	0.01	26.74
16.	महाराष्ट्र	47.60	0.17	0.00	47.78
17.	मणिपुर	1.80	0.00	0.00	1.80
18.	मेघालय	1.12	0.00	0.00	1.12
19.	मिजोरम	0.35	0.00	0.00	0.35
20.	नागालैंड	0.91	0.00	0.00	0.91
21.	ओडिशा	19.80	0.04	0.00	19.84
22.	पंजाब	14.56	0.09	0.00	14.65
23.	राजस्थान	26.66	0.20	0.01	26.87
24.	सिक्किम	0.26	0.00	0.00	0.26
25.	तमिलनाडु	49.47	0.21	0.00	49.48
26.	तेलंगाना	25.94	0.10	0.01	26.05
27.	त्रिपुरा	2.10	0.01	0.00	2.11
28.	उत्तर प्रदेश	89.64	0.36	0.00	89.99
29.	उत्तराखंड	4.14	0.02	0.00	4.17
30.	पश्चिम बंगाल	88.41	0.26	0.01	88.67
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.19	0.00	0.00	0.19
32.	चंडीगढ़	0.56	0.00	0.00	0.56
33.	दादरा नगर हवेली	0.15	0.01	0.00	0.16
34.	दमन और दीव	0.08	0.00	0.00	0.08
35.	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.00	0.02
36.	पुडुचेरी	0.96	0.00	0.05	0.96
	कुल	630.52	3.31	0.05	633.88

स्त्रोत :– एमएसएमई का 73 वां दौर (2015–16)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग की चुनौतियॉ :–यद्यपि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था, व्यपार, रोजगार इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किन्तु यह क्षेत्र हमारे देश में अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकसित नही हो पाया है। एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न सरकारी प्रयास भी किये जा रहे है, फिर भी इस उद्यम में उद्यमियों के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोविड–19 के संकट और उसके बाद के लॉकडाउन ने भारत में खास तौर पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए उनके सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण गंभीर चुनौतियॉ खड़ा कर दी है यही कारण है कि भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए देश के 63.4 मिलियन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की मदद के लिए अनेक उपायों की घोषणा कर दी है, इन उद्यमों में 110 मिलियन लोग काम करते है और सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) में इनका हिस्सा 29 प्रतिशत है, इनमें सबसे बड़ी पहल थी, 4.5 मिलियन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 3 ट्रिलियन रूपये (अर्थात 40 बिलियन डॉलर) की ऋण गारंटी का प्रावधान,इसके कारण ये उद्योग अब बैंकों और गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनियों से सुविधाएँ प्राप्त कर रहे है, जहॉ एक ओर सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यमों के उधारकर्त्ताओं को ऐसी मोहलत देना जरूरी था, वही यह मोहलत केवल छोटे अनुपात वाले उन उद्यमों को ही मिल पाई है, जिनकी पहुॅच बैकों और गैर–बैकिंग वित्तीय कंपनियों तक रही है। साथ ही ऋण के इतिहास और विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की कमी के कारण इस क्षेत्र की फर्मो के ऋण मूल्यांकन की कठिनाइयों के कारण सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करना भी एक बड़ी चुनौती है, इनके मूल्यांकन के लिए ऋणदाताओं को काफी समय लगाना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप लेन–देने की लागत बढ़ जाती है, कुछ ऋणदाता उद्यमी की निजी संपत्ति को बंधक रखकर ऋण देना ज्यादा पसंद करते है, इस नीति के कारण बहुत–से संभावित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम इसके पात्र नही हो पाते, क्योकि उनके पास ऐसी कोई जमानत नही होती, जिसके कारण देश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम व उद्योगों का विस्तार नही हो पा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र का विस्तार तभी संभव है जब सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक विभिन्न योजनाओं के लिए कोष उपलब्ध कराएं किन्तु सभी बैकों में एमएसएमई विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने में स्व–प्रोत्साहन की कमी साफ झलकती है। साथ ही उदारीकरण के दौर में 1991 के बाद से ही एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन के लिए बड़े स्वदेशी उद्यमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है जिसके कारण एमएसएमई विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। एमएसएमई सीमित पूॅजी व ज्ञान के कारण अपने संपन्न को लम्बी–अवधि तक विकासमान बनाए रखने में असमर्थ रहते है और प्रायः कुछ अवधि के उपरांत बंद हो जाते है जिससे बैकों को दिया गया ऋण भी एनपीए बन जाता है। अतः जरूरी है कि एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता में अभिवृद्वि की जाए तथा देशभर में भारतीय तकनीकी संस्थान (आईटीआई) के जरिए शिक्षण–प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। एमएसएमई की एक बड़ी चुनौतीयॉ ब्रांड व नेटवर्किंग से संबंधित भी है। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के लिए ब्रांड विकास पर बल दिया जाए क्योकि ब्रांड छवि के अभाव में एमएसएमई के पास देशी व विदेशी बाजारों में वाणिज्य–व्यापार की संभावनाएं धूमिल हो जाती है। किन्तु ब्रांड विकास हेतु विज्ञापन, विपणन इत्यादि पर होनेवाला खर्च अक्सर एमएसएमई की क्षमता के बाहर होता है इसके साथ ही वर्तमान युग सही मायनों में नेटवर्किंग का युग है किन्तु नेटवर्किंग के अवसरों की कमी एमएसएमई क्षेत्र में सर्वव्याप्त है। नतीजन एमएसएमई बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज के अभाव में एमएसएमई उद्यमों के लिए बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न सरकारी प्रयास व योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, फिर भी एमएसएमई के विकास में कुछ बाधक तत्व शामिल है,यथा–कुशल कामगार की आवश्यकता, नियमित तौर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध न होना, लंबी कागजी प्रक्रिया, सरकारी कार्यालयों की लालफीताशाही, पर्याप्त संसाधन का अभाव, प्रबंधन की समस्या, वित्त की अनुपलब्धता, कुशल श्रमिकों का अभाव, बाजार का अल्प ज्ञान, परम्परागत तकनीक, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विमुद्रीकरण और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के हालिया प्रभावों के पश्चात् बाजार में नकदी की कमी का होना व आर्थिक चक्र आदि। इन सभी चुनौतियों के होते हुए भी एमएसएमई जिस गति से प्रगति कर रहा है, वह काबिलेतारीफ है।

निष्कर्ष :– संक्षेप में, एमएसएमई क्षेत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए रोजगार सृजन, निर्धनता, निवारण, क्षेत्रीय विकास, नवोन्मेष इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यह बड़े उद्यगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूॅजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है एमएसएमई के विकास के लिए दिन–प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएॅ व प्रयास किये जा रहे है फिर भी इन उद्यमों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यदि एमएसएमई अपनी विषम परिस्थितियों से निपटकर सकरात्मक दिशा में कार्य करे तो रोजगार सृजन के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. योजना (मासिक पत्रिका) सितम्बर 2018,पृष्ठ संख्या–52,53,57 व 58
2. कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका) अप्रैल 2020,पृष्ठ संख्या–10
3. क्रॉनिकल (मासिक पत्रिका) सितम्बर 2020,पृष्ठ संख्या–12 व 47
4. https://www.abplive.com/business/msme.
5. https://m.economictimes.com/hindi/news/ what -is –the-definition-of msme/article show/75868202.cms
6. https://blog.ziploan.in/hi/laghu-udyog-ke-baare -mein-bataye/amp/
7. https://www.iasbook.com/hindi/msme-kysa-hai-evam-chunautiyan/
8. https://lubcg.wordpress.com
9. http://nidhichoudhari.blogspot.com
10. https://Casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/time-invest-building-msme-lending-infastructure -India.